भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1344
28.07.2025 को उत्तर के लिए

वनीकरण की योजनाएँ

1344. श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा वनीकरण और वन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) या कैम्पा (प्रतिपूरक निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) जैसी कोई योजना कार्यान्वित की गई है/कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी वन भूमि का वनीकरण किया गया; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण की पारदर्शिता और दीर्घकालिक उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी तंत्र मौजूद है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं, कैम्पा-वित्तपोषित योजनाएं सहित देश में वनीकरण और वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और पहलों को क्रियान्वित कर रहा है। प्रमुख योजनाओं में राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) शामिल है, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक है, जिसका उद्देश्य भारत के वन क्षेत्र की रक्षा करना, उसे बहाल करना और उसका सवंर्धन करना तथा जलवायु परिवर्तन का सामना करना है; शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वन/हरित स्थानों के विकास के लिए नगर वन योजना (एनवीवाई); और स्कूल नर्सरी योजना (एसएनवाई), जो छात्रों को पौधों के महत्व को समझने में मदद करती है और इसे मान्यता प्राप्त सार्वजनिक और निजी स्कूलों में कार्यान्वित की जाती है। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अंतर्गत निधियों का उपयोग गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के कारण वनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई करने के लिए किया जाता है।

मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह आदि जैसे अवसरों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों को बढ़ावा देता है तथा अभियानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाता है। दिनांक 5 जून 2024 को शुरू किया गया 'एक पेड़

माँ के नाम' अभियान नागरिकों को अपनी माताओं और धरती माता के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और संगत राज्य अधिनियमों एवं नियमों जैसे कानूनी ढाँचों के अंतर्गत वन संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की ज़िम्मेदारी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वन और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा के लिए इन उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं।

(ग) वृक्षारोपण की निगरानी एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों तंत्र शामिल होते हैं। राज्य वन विभाग वार्षिक भौतिक सत्यापन और तृतीय पक्ष निगरानी करते हैं, और मंत्रालय को केएमएल फाइलें और जियो-टैग्ड तस्वीरें प्रस्तुत करते हैं। उत्तरजीविता आकलन के आधार पर सुधारात्मक रखरखाव अभियान चलाए जाते हैं। मंत्रालय ने भू-स्थानिक उपकरणों का उपयोग करके केंद्रीकृत, पारदर्शी निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण निगरानी प्रणाली (एनएएमएस) भी शुरू की है। मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) वन संसाधन सर्वेक्षण और वन आवरण में परिवर्तन का आकलन करता है।

पिछले पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु लिए गए क्षेत्र का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, जिसमें वन भूमि भी शामिल है, **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-1

''वनीकरण की योजनाएँ'' के संबंध में श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा दिनांक 28.07.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1344 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यकलापों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर) 2020-21 से 2024-25
1	आंध्र प्रदेश	586640
2	अरुणाचल प्रदेश	20021
3	असम	45433
4	बिहार	280421
5	छत्तीसगढ	233399
6	गोवा	1090
7	गुजरात	1138066
8	हरियाणा	118312
9	हिमाचल प्रदेश	123637
10	झारखंड	172387
11	कर्नाटक	273437
12	केरल	31087
13	मध्य प्रदेश	405541
14	महाराष्ट्र	203814
15	मणिपुर	29850
16	मेघालय	4134
17	मिजोरम	19856
18	नगालैंड	13665
19	ओडिशा	503574
20	पंजाब	119726
21	राजस्थान	378180
22	सिक्किम	16347
23	तमिलनाडु	164235
24	तेलंगाना	1550871
25	त्रिपुरा	62288
26	उत्तराखंड	186084
27	उत्तर प्रदेश	2349729
28	पश्चिम बंगाल	179647
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15909
30	चंडीगढ़	322
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2874
32	दिल्ली	30595
33	जम्मू और कश्मीर	114190
34	लद्दाख	334
35	लक्षद्वीप	42
36	पुदुचेरी	2183
कुल		**9377919**

*****